न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :- मुन्नीराम बागडिया
(आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :- 07/2016

शिवपाल पुत्र जैसाराम उम्र 68 वर्ष जाति सैनी निवासी ढाणी बावड़ी तन बबाई तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं।

–अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं।

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 29.12.2015 न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी उनवानी मुकदमा सरकार बनाम शिवपाल मु0न0 179/2015 अ0धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :-

1. श्री सुभाषचन्द्र चौधरी, एडवोकेट – अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण सैनी, एडवोकेट – रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 07.11.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने जरिये अधिवक्ता अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पटवार हल्का ने अदालत मातहत के समक्ष एक रिपोर्ट भूमि ख0न0 484 गै0मु0 रास्ता के तथाकथित 0.01 है0 पर अतिक्रमण कर पुख्ता शौचालय के निर्माण के बाबत गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्ट पर योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जांच किये ही अपीलान्ट को इस भूमि पर अतिक्रमी मानकर बेदखल आदेश देने में कानूनी भूल की है। न्यायालय के द्वारा पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट पर जब अपीलान्ट को नोटिस मिला तो अपीलान्ट द्वारा दिनांक 16.12.2015 को जबाब नोटिस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवारी हल्का द्वारा राजनैतिक द्वैषता की वजह से योग्य अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के विरूद्ध गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है तथा पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट के समर्थन में कोई भी नक्शा प्रस्तुत नही किया। जिससे यह कहा जा सके कि निर्माण कार्य किस जगह का है व कितनी लम्बी चौड़ी जगह पर निर्माण है इस बाबत भी कोई तथ्य दर्ज नही किया है जबकि पटवारी हल्का इस बाबत चिन्हित कर दे तब तक अपीलान्ट के खिलाफ धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही नही की जा सकती, जबकि अपीलान्ट का विवादित भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही था। पटवारी हल्का के द्वारा सही रिपोर्ट प्रस्तुत नही करने के बावजुद भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बेदखली का आदेश देने की कानूनी भूल

की है। अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि 484 पर पुख्ता शौचालय का निर्माण कर कोई अतिक्रमण नही किया है। मौके पर रास्ता बदस्तुर जारी है पटवारी हल्का द्वारा दुसरी जगह की रिपोर्ट बनाकर के गलत दस्तावेज योग्य अधिनस्थ न्यायालय के सक्षम पेश किया है अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण नही किया गया है। मौके पर रास्ते की भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही है न ही रास्ते के उपयोग उपभोग में आवागमन को किसी प्रकार की कोई बाधा है। रिकार्ड में जितनी भूमि गै0मु0 रास्ता की दिखाई है उस भूमि पर लोगो ने आम रास्ते को छोड़कर अपने पुख्ता व खाम निर्माण कर रखे है उनके खिलाफ पटवारी हल्का व योग्य अधिनस्थ न्यायालय कोई भी कार्यवाही नही करना चाहते है। अन्त में अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय योग्य अदालत मातहत तहसीलदार खेतड़ी दिनांक 29.12.2015 को निरस्त फरमाया जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यो को दौहराया एंव कथन किया कि उक्त भूमि ख0न0 484 गै0मु0 रास्ता के तथाकथित 0.01 है0 पर अतिक्रमण कर पुख्ता शौचालय के निर्माण के बाबत गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की, उक्त रिपोर्ट पर योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जांच किये ही अपीलान्ट को इस भूमि पर अतिक्रमी मानकर बेदखल आदेश दिया है। जबकि अपीलान्ट का विवादित भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही 473 अपीलान्ट द्वारा रास्ते की भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही है न ही रास्ते के उपयोग उपभोग में आवागमन को किसी प्रकार की कोई बाधा है। प्रार्थी को उक्त भूमि की बाबत पहले भी नोटिस दिया गया था जिसकी अपील प्रार्थी ने कर रखी है ।अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.12.2015 निरस्त फरमाया जावें।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी ने अपीलान्ट्स द्वारा ग्राम बबाई स्थित राजकीय भूमि ख.न. 484 गै0मु0 रास्ता के रकबा 0.01 है0 में पुख्ता शौचालय का निर्माण कर अतिक्रमण किये जाने के कारण विधिक प्रकिया के अनतर्गत विधिसमत कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज होने योग्य है।

मैंने पत्रावली एंव मिसल मातहत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में पहले भी उन्हें नोटिस दिया गया था जिसकी उन्होंने अपील कर रखी है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया। अपीलांट को परेशान करने की नियत से बार बार झूठी कार्यवाही की गई है। हल्का पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट के समर्थन में कोई भी नक्शा प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह कहा जा सके कि निर्माण कार्य किस जगह का है व कितनी लम्बी चौड़ी जगह पर निर्माण है,इस बाबत कोई तथ्य अंकित नहीं किये है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों का देखते हुये अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.12.2015 उनवान सरकार बनाम शिवपाल मुकदमा नम्बर 179/2015 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार खेतड़ी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में वे स्वयं मौका निरीक्षण कर राजस्व रिकार्ड का अवलोकन कर इस तथ्य की जांच करें कि पूर्व में इसी स्थान को लेकर कोई प्रकरण तो नहीं चल रहा है। पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। मिसल मातहत अदालत आदेश की प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो व बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(एम0आर0 बागड़िया)
अति0 जिला कलक्टर
झुंझुनूं

निर्णय आज दिनांक 07.11.2017 को मेरे द्वारा अलग से टकिंत करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम0आर0 बागड़िया)
अति0 जिला कलक्टर
झुंझुनूं